

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जला भवन/पूषण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्तिगत, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फकत थ्रिडप्लै केवल आवासीय प्रयोजनकी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 826 दिनांक 23/12/2020

श्री ज्योती चन्द चौधरी श्री लाजुराम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

P.No = 11/517 चौपासकी
हाउसिंग बोर्ड

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश


कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 11673/- जमा

जारी रसीद संख्या 9069/6085, 6086

दिनांक 23/12/2020 को जमा करा दी है ।

23/12/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर


 Received
 Manoj Me
 9461845534
 23/12/2020